ायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

त्र संख्या–57/2020

त्र प्रविष्टि दिनांक–27.07.2020

दिनांक–15.01.2025

तराज पुत्र किशना जाति नायक निवासी ग्राम देवपुरा तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

हसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

टवारी हल्का पीपलू

अप्रार्थीगण

वक्ता प्रार्थी–श्री चतुर्भुज गुर्जर एड0

र्थी–तहसीलदार पीपलू स्वंय उपस्थित

प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं की भूमि आराजी ख0न0 3/2 ब्बा 10–00 बीघा वाके ग्राम अब्बासनगर चक नं. 01 तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें श्योजी, ल्लू, शोराज पि0 किशना, रामराज पुत्र किशना नायक सा.देह हाल आबाद पीपलू दर्ज है, जो सही एवं सत्य है ा भूमि आराजी ख0न0 3245/4281 रकबा 04–06 बीघा, ख0न0 3241/3 रकबा 02–19 बीघा, 3243 रकबा –04 बीघा, ख0न0 3241/2 रकबा 02–00 बीघा वाके ग्राम देवपुरा, पटवार हल्का पीपलू में स्थित है। जिसमें . किशना की विरासत का नामान्तकरण भरा गया। उसमें श्योजी, लल्लू, श्योराज, रामलाल पि0 किशना नायक र्ज हो गया। जमाबंदी ग्राम अब्बासनगर चक संख्या 01 में प्रार्थी का नाम रामराज पुत्र किशना दर्ज है, जो सही ं सत्य है। लेकिन ग्राम देवपुरा में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी रामराज के स्थान पर रामलाल दर्ज है। जिसको द्धी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की ग्राम देवपुरा में वर्णित आराजीयात 0न0 3245/4281 रकबा 04–06 बीघा, ख0न0 3241/3 रकबा 02–19 बीघा, 3243 रकबा 03–04 बीघा, 0न0 3241/2 रकबा 02–00 बीघा वाके ग्राम देवपुरा, पटवार हल्का पीपलू में रामलाल पुत्र किशना के स्थान र रामराज पुत्र किशना जाति नायक शुद्ध किया जाने का आदेश प्रदान करे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी
नदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर
किया की भूमि आराजी ख0न0 3245/4281, 3241/3, 3243, 3241/2 वाके ग्राम देवपुरा, पटवार हल्का
में प्रार्थी का नाम रामराज पुत्र किशना दर्ज रिकॉर्ड है एवं ग्राम अब्बासनगर के ख0न0 3/2 में प्रार्थी का
ामराज पुत्र किशना दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा ग्राम देवपुरा में स्थित आराजीयात ख0न0 3245/4281,
/3, 3243, 3241/2 में रामलाल पुत्र किशना के स्थान पर रामराज पुत्र किशना दर्ज करवाना चाहता है।
ण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जनआधार कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम
ज पुत्र किशना दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी का नाम ग्राम देवपुरा में विरासत का नामान्तकरण दर्ज करते समय
ल पुत्र किशना के नाम से अंकन हुआ है। अतः ग्राम देवपुरा के ख0न0 3245/4281, 3241/3, 3243,
/2 मे प्रार्थी रामलाल पुत्र किशना के स्थान पर रामराज पुत्र किशना किये जाने की अभिशंषा की जाती है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी।
क्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी ख0न0
रकबा 10-00 बीघा वाके ग्राम अब्बासनगर चक नं. 01 तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें श्योजी,
शोराज पि0 किशना, रामराज पुत्र किशना नायक सा.देह हाल आबाद पीपलू दर्ज है, जो सही एवं सत्य है
भूमि आराजी ख0न0 3245/4281 रकबा 04-06 बीघा, ख0न0 3241/3 रकबा 02-19 बीघा, 3243 रकबा
बीघा, ख0न0 3241/2 रकबा 02-00 बीघा वाके ग्राम देवपुरा, पटवार हल्का पीपलू में स्थित है। जिसमें
शना की विरासत का नामान्तकरण भरा गया। उसमें श्योजी, लल्लू, श्योराज, रामलाल पि0 किशना नायक
ी गया। जमाबंदी ग्राम अब्बासनगर चक संख्या 01 में प्रार्थी का नाम रामराज पुत्र किशना दर्ज है, जो सही
त्य है। लेकिन ग्राम देवपुरा में वर्णित आराजीयात में प्रार्थी रामराज के स्थान पर रामलाल दर्ज है। जिसको
हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की ग्राम देवपुरा में वर्णित आराजीयात
3245/4281 रकबा 04-06 बीघा, ख0न0 3241/3 रकबा 02-19 बीघा, 3243 रकबा 03-04 बीघा,
3241/2 रकबा 02-00 बीघा वाके ग्राम देवपुरा, पटवार हल्का पीपलू में रामलाल पुत्र किशना के स्थान
मराज पुत्र किशना जाति नायक शुद्ध किया जाने का आदेश प्रदान करे।

अप्रार्थी तहसीलदार ने अपनी बहस में बताया की भूमि आराजी ख0न0 3245/4281, 3241/3, 3243,
/2 वाके ग्राम देवपुरा, पटवार हल्का पीपलू में प्रार्थी का नाम रामराज पुत्र किशना दर्ज रिकॉर्ड है एवं ग्राम
नगर के ख0न0 3/2 में प्रार्थी का नाम रामराज पुत्र किशना दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी द्वारा ग्राम देवपुरा में
आराजीयात ख0न0 3245/4281, 3241/3, 3243, 3241/2 में रामलाल पुत्र किशना के स्थान पर रामराज
किशना दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जनआधार कार्ड, पहचान पत्र, आधांर कार्ड,
कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम रामराज पुत्र किशना दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी का नाम ग्राम देवपुरा में विरासत
मान्तकरण दर्ज करते समय रामलाल पुत्र किशना के नाम से अंकन हुआ है। अतः ग्राम देवपुरा के ख0न0
/4281, 3241/3, 3243, 3241/2 में प्रार्थी रामलाल पुत्र किशना के स्थान पर रामराज पुत्र किशना किये
की अभिशंषा की जाती है।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, भारत निर्वाचन ोग द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, जमाबंदी खाता संख्या 41 वाके ग्राम अब्बासनगर चक नं. 1 व ीलदार पीपलू तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया । उक्त अवलोकन से स्पष्ट है की प्रार्थी का शुद्ध नाम रामराज पुत्र किशना जाति नायक है, जबकि ख0न0 5/4281, 3241/3, 3243, 3241/2 वाके ग्राम देवपुरा के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामलाल पुत्र ाना जाति नायक दर्ज रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के पूर्ण नाम **रामलाल पुत्र किशना जाति नायक** के स्थान पर **रामराज पुत्र किशन जाति नायक हि0 ाबंदी अनुसार** दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को मेरे द्वारा ब्रवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार ार दाखिल हो।

(अनिता कुमारी खटीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)